न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 62/2000(74/2011)

प्रकरण दर्ज तिथि :— 15.07.2000

जीसीएमएस नम्बर :— 2000/00003

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1.उमसिंह पुत्र तेजसिंह जाति – रावत	1 धुकल पुत्र भादा, जाति—रावत
2.दौलतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति – रावत	2 चुना पुत्र भादा, जाति—रावत
3.भंवरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति – रावत	3 भोजा पुत्र भादा, जाति—रावत
निवासीगण – चैनपुरा, रेलड़ा , तहसील—रायपुर, जिला—पाली, राजस्थान	4 निम्बा पुत्र खुमा, जाति—रावत
	5 किशना पुत्र खुमा, जाति—रावत
	6 धन्ना पुत्र नाथु, जाति—रावत
	7 मुदा पुत्र नाथु, जाति—रावत
	8 रतना पुत्र धन्ना, जाति—रावत
	9 त्रिलोक पुन भोजा जाति—रावत
	निवासीगण—चैनपुरा रेलड़ा, तहसील—रायपुर, जिला—पाली, राजस्थान

दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापन निषेधाज्ञा

उपस्थित 1 श्री डूगंरसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 28.07.2022

वादी की ओर से वकील श्री डूंगर सिंह द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापन वादपत्र धारा 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी की वादीगण का खातेदारी की भूमि ग्राम—चैनपुरा पटवार हल्का रेलड़ा में निम्न खसरा नम्बर में आई हुई हैं। वादी नम्बर—01 एवं 02 दो निम्न खसरा नम्बर में खातेदार काश्तकार है तथा वादी नम्बर 03 के पूर्वजो की भूमि इस खसरा नम्बर में पेमा पुत्र कालू के नाम से खातेदारी हैं पेमा वादी नम्बर—03 तीन का पिता है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् यह भी हकदार हैं तथा इसका भी निम्न खसरा नम्बर में कब्जा है। खसरा नम्बर निम्न है।

खसरा नम्बर	रकबा
21	02 दो बीघा 07 साल बिस्वा
24	08 बीघा
25	06 छः बीघा 02 दो बिस्वा
34	11 ग्यारह बीघा 03 तीन बिस्वा
100	08 आठ बीघा 07 सात बिस्वा
101	15 पन्द्रह बिस्वा
48	12 बारह बिस्वा

उपरोक्त भूमि खाता संख्या—04 चार में स्थित है। खाता संख्या 05 पांच में निम्न भूमि है।

खसरा नम्बर	रकबा
26	05 पांच बीघा 12 बारह बिस्वा
96	01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा
98	02 दो बीघा 06 छः बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

उपरोक्त खसरा नम्बर में काश्तकार होने के कारण वादीगण ने बाबू पुत्र नारायण जो की उपरोक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार था जिसका उपरोक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि में 01/08 हिस्से का हकदार जो मौके पर काबिज था तथा उपरोक्त सभी खसरा नम्बरान में काश्त अपने हिस्से पर बाबू पुत्र नारायण जाति-रावत, निवासी-चैनपुरा, रेलड़ा, तहसील-रायपुर, जिला-पाली, करता था जो मौके पर बंटी हुई थी भूमि पर 01/08 भाग पर काबिज था तथा गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर-48 अड़चालीस पर अपने हिस्से का पानी निकाल कर अपने हिस्से की भूमि पिलाता था।

02 :- यह हैं कि बाबू पुत्र नाराण, जाति-रावत, निवासी-चैनपुरा की खातेदारी की भूमि दावे के पैरा नम्बर-01 एक में दर्ज खसरा नम्बरान् की सम्पूर्ण भूमि बाबू का हिस्सा 01/08 भाग वादीगण ने दिनांक-12.06.2000 बारह जून दो हजार को जरिये बैचान रूपये 61400/- अक्षरे इकसठ हजार चार सौ रूपयें में खरीद कर अपने हक में बाबू से उपपंजीयन कार्यालय-रायपुर में बाबू के खातेदारी की भूमि का हिस्सा का बैचान करवा कर पंजियन करवाया जिसकीस नकल साथ संलग्न है। दिनांक- 12.06.2000 बारह जून दो हजार को ही पंजियन कराते ही मौके पर कब्जा वादीगण को बाबू ने सुपुर्द कर दिया । वादीगण के कब्जा प्राप्त कर दिनांक 13.06.2000 तैरह जून दो हजार को बाबू से खरीद सुदा भूमि पर खड़ाई करवा दी तथा उसमें पड़े कांटे आदि साफ कर दिये खेत बोने योग्य तैयार कर दिया था।
यह है कि प्रतिवादीगण वादी से नाराज थे वादीगण को कहा कि तुमने यह भूमि ब्राले-बाले खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली है, हमे साथ लेकर नहीं गये, हमें साथ लेजाकर भूमि खरीदी जिसका खर्चा नहीं किया व गांव में आकर भी तुमने भूमि खरीदी जिस बाबत् गोट (पार्टी) की हैं इसलिए तुम्हें खरीद सुदा भूमि पर खेती नहीं बोने देंगे। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण ने धमकी दी उसके बाद वादीगण ने उनको काफी समझाया किन्तु वे लोग नहीं मानें व दिनांक 03.07.2000 तीन जुलाई दो हजार को सवेरे वादीगण बाबू से खरीद सुदा भूमि पर काश्त बोने हेतु गये तो प्रतिवादीगण धारिया लठ लेकर वादीगण के आड़े फिर गये व काश्त करने से रोक दिया , जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
यह है कि वादीगण शान्त प्रकृति के आदमी है। प्रतिवादीगण आदतन अपराधि है। झगड़ा टंटा करने पर उतारू होते है व वादीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से खरीद सुदा भूमि पर खेती करने से रोक रहे हैंबिनाय दावा दिनांक 03.07.2000 तीन जुलाई दो हजार को वादीगण दावे कें पैरा संख्या 01 एक में दर्ज खसरा नम्बर की भूमि में 01/08 भाग जो वादीगण ने बाबू पुत्र नाराण से खरीदी है, जिसमें काश्त करने हेतु गये व प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर टंटा पिसाद करने पर तथा वादीगण को काश्त करने पर रोकने पर बमुकाम-चैनपुरा, पटवार हल्का-रेलड़ा, तहसील-रायपुर, जिला-पाली में पैदा हुआ जो अन्दर मियाद है। तथा भूमि की किस्म राजस्व भूमि है। जिस कारण यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को है।मालियत बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापन निषेधाज्ञा रूपये 200/-, रूपये 200/- दो, दो सौ रूपये कायम की जाती है। कुल मालियत रूपये 400/- अक्षरे चार सौ हे, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क रूपये 01,01/- कुल 02/- रूपये अक्षरे दो रूपये का स्टाम्प पेश है।
यह हे कि बिनाय दावा, सम्पति की किस्म, सम्पति की स्थित क्षेत्राधिकार व मालियत के आधार पर यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को है।(अ) कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री विरूद्व प्रतिवादीगण हक में वादी इस अमर की जारी फरमावें कि दावे के पद संख्या 01 एक में दर्ज खसरा नम्बरान् की भूमि में वादीगण द्वारा दिनांक 12.06.2000 बारह जून दो हजार को बाबू पुत्र नाराण, जाति-रावत, निवासी-चैनपुरा से 01/08 हिस्सा खरीदा है। जिसमें वादीगण को काश्त आदि करने से नही रोके व किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में उपयोंग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।
(ब) कि आज्ञापन निषेधाज्ञा की डिकि विरूद्व प्रतिवादीगण हक में वादी इस अमर की जारी फरमावे कि यदि दौराने दावा यदि वादीगण की भूमि जो दावे के पर संख्या 01 एक में दर्ज हैं। जो बाबू पुत्र नाराण से खरीदी है उस पर किसी प्रकार से अतिकमण कर ले तो जरिये आज्ञापन निषेधाज्ञा के हटाया जावे।
(स) कि खर्चा तमाम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।
(द) कि अन्य दादरसी रूह वाद से हक में वादी, विरूद्व प्रतिवादीगण होतो जारी फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री करणीदान एवं श्री भागीरथ तेली ने वकालतनामा पेश किया। जो शा.मि. हों। प्रतिवादी अधिवक्ता को बार बार आवाजे दिलाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस समायत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा चैनपुरा पटवार हल्का रेलड़ा के खसरा नम्बर 21, 24, 25, 34, 100, 101, 48, 26, 96, 98 में वादी के कब्जे काश्ते की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा चैनपुरा पटवार हल्का रेलड़ा के खसरा नम्बर 21, 24, 25, 34, 100, 101, 48, 26, 96, 98 में वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1.उमसिंह पुत्र तेजसिंह जाति – रावत
2.दौलतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति – रावत
3.भंवरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति – रावत
निवासीगण – चैनपुरा, रेलड़ा, तहसील–रायपुर, जिला–पाली, राजस्थान

1 धुकल पुत्र भादा, जाति–रावत
2 चुना पुत्र भादा, जाति–रावत
3 भोजा पुत्र भादा, जाति–रावत
4 निम्बा पुत्र खुमा, जाति–रावत
5 किशना पुत्र खुमा, जाति–रावत
6 धन्ना पुत्र नाथु, जाति–रावत
7 मुदा पुत्र नाथु, जाति–रावत
8 रतना पुत्र धन्ना, जाति–रावत
9 त्रिलोक पुन भोजा जाति–रावत
निवासीगण–चैनपुरा रेलड़ा, तहसील–रायपुर, जिला–पाली, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 62/2000(74/2011)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री डूगरसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण श्री करणीदान एवं श्री भागीरथ तेली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा चैनपुरा पटवार हल्का रेलड़ा के खसरा नम्बर 21, 24, 25, 34, 100, 101, 48, 26, 96, 98 में वादी के कब्जे काश्ते की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

नीज......................×..................मुबलिक...............×.............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	27	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	05	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	04	00	मीजान			
मीजान		13	00			27	00

नोट :– खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गयां हो नहीं दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)